अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

कमांक एफ-10-15 / 2016 / वाक / पांच (23) — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 4-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-वाक-पांच (78), दिनांक 29 सितम्बर, 1997 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

अनुक्रमांक ८ एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :- .

| अ. क्र. | स्थानीय क्षेत्र | माल का वर्ग | दिनांक | कर की दर (प्रतिशत में) |
|------------|---|---|----------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| "9. | छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र | बॉयलर प्रेशर पार्ट्स — इकोनोमाईसर क्वाईल, सुपर हीटर क्वाईल, बेड क्वाईल, वाटर वाल पैनल एवं हेडर यदि उपरोक्तानुसार वर्णित मालों पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत कर न चुकाया गया हो। | 1.4.2016 | 5'' |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आद्गेशानुसार,

(ए.पी.त्रिपाठी)

विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

कमांक एफ-10-15/2016/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-10-15/2016/वाक/पांच (23) दिनांक 31. 03.2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, New Raipur

NOTIFICATION

New Raipur, Dated 31.03.2016

No. F-10-15/2016/CT/V (23) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4-A of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the department's notification no. A-5-14-97-ST-V(78), dated 29th September, 1997, namely:—

AMENDMENT

In the Schedule to the said notification,-

After serial No. 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:—

| S. No. (1) | Local areas | Class of goods (3) | Date (4) | Rate of tax (percent) (5) |
|------------------|---|---|----------|---------------------------|
| "9. | All local areas in the State Chhattisgarh | Boiler pressure parts — economiser coil, super heater coil, bed coil, water wall panel and header When the goods specified above have not paid tax under Section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 | 1.4.2016 | 5" |

By order and in the name of the

Governor of Chhattisgarh

(A. P. Tripathi)

Special Secretary

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

क्रमांक एफ-10-15/2016/वाक/पांच (24) — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/64/2014/ वाक/पांच (66), दिनांक 1.7.2014 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगा, अर्थात् :--

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,--

अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :--

'<u>अनुसूची</u>

| अनुकमांक | स्थानीय क्षेत्र | माल | कर की दर |
|----------|---|------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त स्थानीय क्षेत्र | लाईम स्टोन | पैंतालीस रुपये प्रति मेट्रिक टन.'' |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ए.पी.त्रिपाठी) विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

कमांक एफ-10-15/2016/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-10-15/2016/वाक/पांच (24) दिनांक 31.03.2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए.पी.त्रिपाठी)

विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, New Raipur

NOTIFICATION

New Raipur, Dated 31.03.2016

No. F-10-15/2016/CT/V (24) - In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notification no. F-10/64/2014/CT/V(66), dated 1.7.2014 with effect from 1st April 2016, namely:—

AMENDMENT

In the said notification,

For Schedule, the following shall be substituted, namely:---

"SCHEDULE

| S. No. | Local areas | Goods | Rate of tax |
|--------|---|------------|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | All local areas in the State of Chhattisgarh. | Lime stone | Rupees forty five per metric tonne." |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

(A. P. Tripathi)

Special Secretary

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 31-03-2016

No. F-10-19/2016/CT/V (33) - In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this department's notifications number A-3-28-2000-ST-V(33), dated 13.4.2000; F-10/20/2003/CT/V (39), dated 1.5.2003 and F-10/70/2003/CT/V (93), dated 6.10.2003 with effect from 1.4.2016, in relation to the period of exemption from payment of tax, namely:—

AMENDMENT

In the said notifications,-

For the figure "2016", the figure "2017" shall be substituted.

By order and in the name of the

Govenor of Chhattisgarh

(A. P. Tripathi)

1 Xenella

Special Secretary

--0--

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

कमांक एफ—10—19 / 2016 / वाक / पांच (34) — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, दिनांक 1.4.2016 से 31.3. 2017 तक की अविध के लिए, कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

| अ.क्र. | माल का वर्ग | निर्बन्धन तथा शर्तें |
|--------|---|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 1, | | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ राज्य |
| | | में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित हो. |
| | खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार), (पांच) में | |
| | यथा विनिर्दिष्ट लोहा एवं इस्पात तथा | |
| | प्रवर्ग (छः) में वर्णित हूप्स एवं स्ट्रिप्स | |
| 2. | एच.डी.पी.ई. / पी.पी. बैग्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ मूल्य |
| | | संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के |
| | | अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे अन्य पंजीकृत |
| | | व्यापारी से क्रय किया जाए, जिसके द्वारा उक्त माल |
| | | छत्तीसगढ़ राज्य में एच.डी.पी.ई./पी.पी. कणों से |
| | | निर्मित किया गया हो. |
| 3. | जूट बैग तथा जूट रस्सी | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ मूल्य |
| | | संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के |
| | | अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे अन्य पंजीकृत |
| | | व्यापारी से, उक्त अधिनियम के अधीन कर के |
| 1 | | भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किया जाए. |
| 4. | नारियल | _ |

| 5. | सिलाई मशीन | _ |
|-----|--|---|
| 6. | आटा, मैदा, सूजी तथा चोकर | _ |
| 7. | छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी उद्योग द्वारा निर्मित माल, किंतु कोयला तथा लौह अयस्क को छोड़कर | जब लघु स्तरीय औद्योगिक उपक्रम या सूक्ष्म उद्यम या ऐसा लघु उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो, द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 8. | अनुसूची-2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल | जब अगरबत्ती निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 9. | एविएशन स्पिरिट तथा एविएशन टरबाईन प्यूल | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 10. | एवीएशन रिपरिट, एवीएशन टरबाईन पयूल तथा फायर-ब्रिक्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा किसी अन्य पंजीकृत व्यापारी से, उक्त अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात् स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिए क्रय किया गया हो. |
| 11. | पलाई-ऐश | जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (कृ. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो. |
| 12. | धान तथा चावल | _ |
| 13. | हेसियन क्लॉथ | _ |
| 14. | सभी प्रकार के मोटरयानों के तथा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर्स के और पशु द्वारा खीचे जाने वाले यानों के टायर, ट्यूब तथा फ्लेप | |
| 15. | ट्रैक्टर सहित सभी प्रकार के मोटर यानों के स्पेअर पार्ट्स | |
| 16. | मक्का, कनकी, मछली, तेल निकला हुआ कोढ़ा, शेल ग्रिड, फीड सप्लिमेन्ट्स (दवाईयां) तथा खली | जब स्थानीय क्षेत्र में कुक्कुट पालकों द्वारा उनके कुक्कुट फार्म में उपभोग या कुक्कुट आहार के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो. |
| 17. | खुली चाय | |
| 18. | जूट, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (पांच) में विनिर्दिष्ट है | जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपभोगया उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो. |

| | · | 3 |
|-----|--|--|
| 19. | वनस्पति तथा खाद्य तेल. हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेल एवं घी | जब छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर एक स्थानीय क्षेत्र से अन्य किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 20. | किराना सामान | _ |
| 21. | बबूल बीज | जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपभोगया उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो. |
| 22. | गुड़ | _ |
| 23. | अनुसूची-2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल | जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा फेरो—एलायज के निर्माण में उपयोग के लिये प्रवेश कराया गया हो. |
| 24. | शक्ति करघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा उसका विनिर्माण किसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो तथा तत्पश्चात् प्रसंस्करण हेतु उसे किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में इस दृष्टि से प्रवेश कराया गया हो जिससे कि प्रसंस्कृत कपड़ा प्राप्त किया जा सके. |
| 25. | सिल्क यार्न 22.00 डेनियर्स तक | |
| 26. | सूती तथा ऊनी खादी का कपड़ा | _ |
| 27. | अखबारी कागज | _ |
| 28. | पका अन्त के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल | जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारी द्वारा प्रवेश कराया गया हो, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप—धारा (2) के अंतर्गत कर के प्रशमन की अनुज्ञा दी गई हो. |
| 29. | सोना तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित है | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा सोना तथा चांदी की वस्तुएं, जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित हैं, में संपरिवर्तन हेतु प्रवेश कराया गया हो. |
| 30. | अनुसूची—2 के सरल क्रमांक 27 की प्रविष्टि (अ) में वर्णित फ्लाई एश ब्रिक्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर निर्मित किया गया है. |
| 31. | समस्त उत्पाद, किन्तु लाईमस्टोन को छोड़कर | जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित उद्यम द्वारा निर्मित हो, जहां संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक न हो. |
| 32. | स्टील स्ट्रिप एवं स्टील काईल | जब इसका उपयोग, स्टील पाईप के निर्माण में कच्चे माल के रूप में हों. |
| 33. | पैकिंग सामग्री | जब इसका, उपयोग अगरबत्ती की पैकिंग के रूप में हो. |

| 34. | निःशक्तजनों के उपयोग के लिये | जब ऐसे मोटरयान का प्रवेश, निःशक्तजनों द्वारा स्वयं। |
|-----|--------------------------------------|---|
| | मोटर यान | के उपयोग हेतु राज्य के बाहर से किया जाये. |
| 35. | सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयुक्त | _ |
| | होने वाले उपकरण एवं इसके संघटक | |
| | (कम्पोनेंट) | |
| 36. | पेपर | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक |
| | | निगम द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन में उपयोग के लिये |
| | | किया जाये. |
| 37. | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल राज्य में निर्मित हो. |
| | (1956 का सं. 74) की धारा 14 के | |
| 1 | खंड (चार) के प्रवर्ग (दो) में यथा | · |
| | विनिर्दिष्ट इंगट तथा बिलेट्स सोयाबीन | |
| 38. | सोयाबीन तेल के निर्माण के लिये | |
| 39. | प्रयुक्त प्लांट, मशीनरी तथा स्पेयर | |
| | पार्ट्स | |
| 40. | आयरन ओर पैलेट एवं बिलेट | 1. जब ऐसे माल का प्रवेश, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित |
| | | कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के |
| | | अधीन पंजीकृत लघु अथवा मध्यम औद्योगिक |
| | , | ईकाई के द्वारा स्थानीय क्षेत्र में कराया जाए। |
| | | स्पष्टीकरण–(क) इस अधिसूचना के प्रयोजन के |
| | | लिए लघु अथवा मध्यम औद्योगिक ईकाई से |
| | | अभिप्रेत है ऐसी विद्यमान इकाई जिसमें दिनांक |
| | | 31.3.2014 तक तथा 1.4.2014 या इसके पश्चात् |
| | | उत्पादन प्रारंभ करने वाली ईकाई का उत्पादन |
| | | दिनांक तक, संयंत्र एवं मशीनरी में कुल विनिधान |
| | | अवक्षयण के पूर्व रू. 10 करोड़ से अधिक न हो; |
| | | |
| | 1 | (ख) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए संयंत्र |
| | · | एवं मशीनरी में विनिधान की संगणना, भारत |
| | | शासन के लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना |
| | | क्रमांक का.आ. 1722(अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 |
| | | के अनुसार की जायेगी। |
| | | 2. ऐसे माल का प्रवेश, आयरन एवं स्टील के निर्माण |
| | | में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु कराया जाये |
| | | तथा निर्मित उत्पाद का विक्रय, राज्य में अथवा |
| | | अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में |
| | | अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में, |
| | | किया जाये. |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 41. | जस्ता | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाई द्वारा पाईप की गेल्वेनाईजिंग हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग एवं उपभोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 42. | अनुसूची—तीन की प्रविष्टि क्रमांक 3 में यथा विनिर्दिष्ट राईस ब्रान | _ |
| 43. | अनुसूची—दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा सुपरस्ट्रक्चर सहित बायो—टॉयलेट तथा इसके संघटक (कम्पोनेंट) के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 44. | अनुसूची—दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बनाई गई "अफोर्डेबल—हाऊसिंग—इन—पार्टनरिशप योजना के दिशा—निर्देश दिसम्बर, 2013" के अधीन, रिहायशी आवास निर्माण परियोजना में प्रयुक्त होने वाले प्रीकास्ट, प्रीफेब्रीकेटेड या मोनोलिथिक कॉन्क्रीट उत्पाद के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग अथवा उपभोग हेतु प्रवेश कराया गया हो. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ए.पी.त्रिपाठी) विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

कमांक एफ-10-19/2016/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-10-19/2016/वाक/पांच (34) दिनांक 31. 03.2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

ाथा आदशानुसार,

(ए.पी.त्रिपाठी) विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 31-03-2016

No. F-10-19/2016/CT/V (34) - In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, subject to the restriction and conditions specified in column (3) of the Schedule below, exempts the class of goods specified in column (2) of the said Schedule from payment of tax in whole for the period from 1.4.2016 to 31.3.2017, namely: –

SCHEDULE

| S. NO. | CLASS OF GOODS | RESTRICTIONS AND CONDITIONS |
|-----------|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | in categories (iv), (v), and | When the goods specified in column (2) are manufactured by an industrial unit situated in the State of Chhattisgarh. |
| 2. | H.D.P.E/P.P. bags | When the goods specified in column (2) are purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another such registered dealer, who has manufactured the said goods from H.D.P.E./P.P. granules in the State of Chhattisgarh. |

| 3. | Jute bag and jute twine | When the goods specified in column (2) are purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another such registered dealer after payment of tax under the said Act. |
|-----|---|--|
| 4. | Coconut | _ |
| 5. | Sewing machine | _ |
| б. | Atta, maida, semolina (sooji) and wheat bran | _ |
| 7. | Goods manufactured by any industries situated in the State of Chhattisgarh, except coal and iron ore | When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture by a small scale industrial undertaking or a microenterprise or such small enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed five crore Rupees. |
| 8. | Goods specified in Schedule-II and III | When entered into a local area for use or consumption in the manufacture of agarbatti. |
| 9. | Aviation spirit and aviation turbine fuel | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for sale. |
| 10. | <u> </u> | When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another registered dealer after payment of tax under the said Act for consumption or use in a local area. |

| | Fly-ash Paddy and rice | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from any local area within the State of Chhattisgarh. |
|-----|--|--|
| | Hessian cloth | - |
| 14. | Tyres, tubes and flaps of motor vehicles of all kinds, and of tractors and trailers, and of animal- drawn vehicles | |
| 15. | Spare parts of all kinds of motor vehicles including tractor | - |
| 16. | shell grid, feed | When entered into a local area by poultry farmers for use as raw material in the manufacture of poultry feed or consumption in their poultry farm. |
| 17. | Loose tea | _ |
| 18. | Jute as specified in clause (v) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) | 1 - 1 |
| 19. | Vegetable and edible oil, hydrogenated vegetable oil and ghee | When entered into a local area from any other local area within the State of Chhattisgarh. |
| 20. | Kirana goods | _ |
| 21. | Babool seed | When entered into a local area for consumption or use a raw material in the process of manufacture. |
| 22. | Jaggery | |

| 23. | Goods specified in Schedule-II and III Un-processed cloth | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), for use in the manufacture of ferro-alloys. When manufactured by a dealer |
|-----|---|---|
| | manufactured in power loom | registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), in a local area and subsequently entered into another local area for processing so as to obtain processed cloth. |
| 25. | Silk yarn up to 22.00 deniers | _ |
| 26. | Cotton and woolen khadi cloth | _ |
| 27. | Newsprint | _ |
| | Raw material used in the manufacture of cooked food | a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) who has been granted permission for composition of tax under subsection (2) of Section 10 of the said Act. |
| 29. | . – | When entered into a local area by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for conversion into articles of gold and silver including coins, bullion and specie. |
| 30. | Fly-ash bricks specified in entry (a) of serial no. 27 of Schedule II | |

| 31. | All Product excluding lime | When manufactured by |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------|
| | stone | enterprises established in the |
| | · | State of Chhattisgarh, where the |
| | | investment in plant and |
| | | machinery does not exceed five |
| | | crore rupees. |
| 32. | Steel strip and steel coil | When used in manufacturing of |
| | | steel pipe as raw material. |
| 33. | Packing material | When used for packing of |
| | | agarbatti. |
| 34. | Motor vehicle for use of | |
| | disabled person | entered from outside the State by |
| | | disabled person for his own use. |
| 35. | Devices and equipments | _ |
| | used in generation of solar | |
| | energy | |
| 36. | Paper | When such goods are purchased |
| | | by Chhattisgarh Pathya Pustak |
| | | Nigam for use in publication of |
| · | | books. |
| 37. | Ingot and billet as | When the goods specified in |
| | specified in category (ii) of | column (2) are manufactured in |
| ! | clause (iv) of Section 14 of | the State. |
| | the Central Sales Tax Act, | |
| | 1956 (No. 74 of 1956) | |
| 38. | Soyabean | |
| 39. | Plant, machinery and | _ |
| | spare parts for use in | |
| | manufacture of soyabean | |
| | oil | |
| 40. | Iron ore pellet and billet | 1.When such goods are entered |
| | | into a loal area by a small or |
| | | medium scale industrial unit |
| | | registered under Chhattisgarh |
| | | Value Added Tax Act, 2005 (No. |
| | | 2 of 2005). |

| | | Explanation—(a) for the purpose of this notification, medium scale industrial unit mean such existing unit in which upto 31.3.2014, and industrial unit commencing production on or after 1.4.2014 upto date of production, total investment in plant and machinery before depreciation does not exceed Rs. 10 crores; (b) for the purpose of this notification investment in plant |
|-----|---|--|
| | | and machinery shall be calculated as per notification no. S.O. 1722(E) dated 5 th October, 2006 of Ministry of Small Scale Industries, Government of India. |
| | | 2. Such goods are entered for use as raw material in the manufacture of iron and steel and manufactured product is sold in the State or in the course of interstate trade and commerce or in the course of export out of the territory of India. |
| 41. | Zinc | When entered into a local area by a industrial unit registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use or consumption as raw material in galvanizing of pipe. |
| 42. | Rice bran as specified in entry no. 3 of Schedule-III | _ |

| 43. | Goods specified in Schedule-II and III | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use or consumption as raw material in the manufacture of bio-toilet with superstructure and its components for sale in the State of Chhattisgarh. |
|-----|---|--|
| 44. | Goods specified in Schedule-II and III | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use or consumption as raw material in the manufacture of precast, prefabricated, monolithic concrete product used in construction of residential housing project under the "Scheme of Residential Housing in partnership guidelines of December 2013" farmed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India. |

By order and in the name of the Govenor of Chhattisgarh

(A. P. Tripathi) Special Secretary

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

कमांक एफ—10—19/2016/वाक/पांच (35) —छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन, दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

| अ.क्र. | माल का वर्ग | छूट की सीमा | निर्बन्धन तथा शर्ते |
|----------|-------------------------|------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | केन बास्केट, ड्रिल रॉड | अंशतः, इस प्रकार | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ |
| | तथा पी.वी.सी. केसिंग | जिससे कर की | मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 |
| | पाईप | दर घटकर 1 | सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा |
| | | प्रतिशत हो जाए | किसी अन्य पंजीकृत व्यापारी से उक्त |
| | | | अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने |
| - | | | के पश्चात् स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या |
| | · | | उपयोग के लिए क्रय किया गया हो. |
| 2. | हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति | अंशतः, इस प्रकार | |
| | तेल जो भारत में निर्मित | जिससे कर की | |
| | न हो | दर घटकर 0.5 | |
| | | प्रतिशत हो जाए | |
| 3. | लौह अयस्क तथा | अंशतः, इस प्रकार | |
| | कोयला | जिससे कर की | संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् |
| | ! | दर घटकर 0.5 | 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा |
| 1 | | प्रतिशत हो जाए। | आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चे माल |
| <u>'</u> | | | के रूप में उपयोग हेतु राज्य के भीतर |
| ! | · | | पंजीकृत व्यापारी से किया जाये तथा ऐसे |
| | | ! | निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथवा |
| | | | अंतर-राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम |
| ! | | | में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में |
| | | | किया जाये. |

| e | | - 2 - | |
|----|--|--|--|
| 4. | कोयला | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ मूल्य संविध् कर अधिनियम, 2005 (कृ. 2 सन् 2005) अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा आयरन एवं स्ट्र् के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग ह राज्य के भीतर से क्रय, नीचे संलग्न प्ररूप घोषणा पत्र के विरूद्ध किया जाये तथा पं निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथ अंतर—राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम किया जाये. |
| 5. | लौह अयस्क, पिग आयरन एवं स्टील स्क्रैप | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ मू संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 र 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्व राज्य के बाहर से आयरन एवं स्टील निर्माण में उपयोग के लिये किया जाये त ऐसे निर्मित माल का विक्रय राज्य के अं अथवा अंतर—राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात अनुक्रम में किया जाये. |
| 6. | आयरन ओर पैलेट | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ मू संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 र 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्व आयरन एवं स्टील के निर्माण में उपयोग ह किया जाये तथा ऐसे निर्मित माल का विब्र राज्य के अंदर अथवा अंतर—राज्यीय व्याप एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाये. |
| 7. | स्टील ट्यूब | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ मू संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 र |
| 8. | अनुसूची—दो के सरल क्रमांक 8 में यथा विनिर्दिष्ट सभी प्रकार के कपड़े | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए | |
| 9. | अनुसूची—दो के सरल क्रमांक 9 में यथा विनिर्दिष्ट शक्कर एवं खांडसारी | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए | _ |

प्ररुप

घोषणा पत्र

| (वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन |) |
|--|---------|
| मैं (व्यापारी का नाम), (पता), छत्तीसगढ़ मूल्य कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक (टिन) का धारक व्यापारी, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं, कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल व | ना क्रय |
| | |
| 2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि : | |
| (एक) मेरे द्वारा क्रय किया गया माल आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चा माल में उपयोग के लिये है। | के रूप |
| (दो) मेरे द्वारा निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथवा अंतर—राज्यीय व्याप वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाये | |
| घोषणा-पत्र पर क्रय किए गए माल का विवरण | |
| क्रय आदेश / बिल / इन्वॉईस / कैश क्रय किये गये मात्रा मूल्य | |
| मेमो / चालान का विवरण माल का (रुपये) | |
| क्रमांक दिनांक विवरण | |
| (1) (2) (3) (4) (5) | |
| | |
| कुल मूल्य (अंकों में) रुपये(शब्दों में) रुपये मात्र। | |
| स्थान | |
| दिनांक व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील | |

*जो लागू न हो उसे काट दें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (ए.पी.त्रिपाठी) विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक 31.03.2016

कमांक एफ-10-19/2016/वाक/पांच- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-10-19/2016/वाक/पांच (35) दिनांक 31. 03.2016 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (ए.पी.त्रिपाठी) विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 31-03-2016

No. F-10-19/2016/CT/V (35) - In exercise of the powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3) of the said Schedule, subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1.4.2016 to 31.3.2017, namely:—

SCHEDULE

| S. NO. | CLASS OF GOODS | EXTENT OF EXEMPTION | RESTRICTION AND CONDITIONS |
|-----------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Cane basket, drill rod and PVC casing pipe | Partly, so as to reduce the rate of tax to 1 percent | When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another registered dealer after payment of tax under said Act for consumption or use in a local area |
| 2. | Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | _ |
| 3. | Iron ore and coal | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased from a registered dealer within the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use as raw material in the manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |

| 4. | Coal | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased within the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) against a declaration in appended form for use as raw material in the manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |
|----|--|--|--|
| 5. | Iron ore, pig iron and steel scrap | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased from outside the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use in manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of interstate trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |
| 6. | Iron ore pellet | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased by registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use in manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |
| 7. | Steel tubes | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are manufactured by dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) |
| 8. | All varieties of cloth as specified in serial no. 8 of Schedule-II | Partly, so as to reduce the rate of tax to 1 percent | _ |
| 9. | Sugar and khandsari as specified in serial no. 9 of Schedule-II | Partly, so as to reduce the rate of tax to 1 percent | _ |

FORM DECLARATION

| noldin added partice of th | ng registration Tax Act, 20 ulars of whice dealer) a co | on certificate No 2005 (No. 2 of 20 th have been give | 005), hereby, decla en below from | under the that I have | he Chhattisgarhe purchased the (Name and | |
|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|
| ırther | declare that, | - | | | | |
| i) | • | ~ . | re for use as raw n | naterial in the | manufacture of | |
| ii) | the manufactured goods shall be sold within the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India. | | | | | |
| | | Particulars o | f goods purchased | | | |
| | l / invoice / | cash memo / | Description of goods purchased | Quantity | Value (Rupees) | |
| | No. | Date | - | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | res) Rupees | (in wo | rds) Rupees | S | |
| | | • | Signa | ture and seal | of the dealer | |
| | noldinadded particular of the Adhirther i) ii) Part bill | nolding registration added Tax Act, 20 particulars of which of the dealer) a condition Adhiniyam. In the declare that, i) the goods be iron and sterestate to findia. Particulars of purbill / invoice / chall No. (1) value (in figural condition only. | nolding registration certificate Norded Tax Act, 2005 (No. 2 of 20 particulars of which have been give of the dealer) a dealer holding readthiniyam. In the dealer that,— It is the goods being purchased a iron and steel. It is the manufactured goods share inter-state trade or commerce of India. Particulars of purchase order / bill / invoice / cash memo / challan No. Date (1) (2) Value (in figures) Rupees. | rolding registration certificate No | in the goods being purchased are for use as raw material in the iron and steel. ii) the manufactured goods shall be sold within the State or inter-state trade or commerce or in the course of export outs of India. Particulars of goods purchased Particulars of purchase order / Bescription of Bescription | |

By order and in the name of the Govenor of Chhattisgarh

(A. P. Tripathi) Special Secretary

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 13.04.2016

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (49) — यतः राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है :

अतएव, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये तथा कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

| अ.क्र. | व्यापारियों के वर्ग | अवधि | निर्बन्धन तथा शर्ते |
|--------|--|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014—19 के अंतर्गत राज्य में इकाईयां स्थापित करने वाले व्यापारी | वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की कालावधि के लिये, या छत्तीसगढ़ राज्य में माल और सेवा कर के लागू होने के दिनांक तक, जो भी पहले हो. | छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति, 2014—19 के समस्त उपबंध. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

(ए. पी. त्रिपाठी) विशेष सचिव

विशेष सावव

नया रायपुर, दिनांक : 13.04.2016

क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (49) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/14/2016/वाक/पांच (49), दिनांक 13.04.2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आवेशानुसार,

(ए. पी. त्रिपाठी)

विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated: 13/04/2016

No. F-10/14/2016/CT/V (49) — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary to do in public interest:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal ke Prevesh Par Kar Adhiniuam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of tax the class of dealers specified in column (2) of the Schedule below for the period specified in column (3) and subject to restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

| S. NO. | CLASS OF DEALERS | PERIOD | RESTRICTIONS AND CONDITIONS |
|-----------|--|--------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Dealer establishing a units in the State under the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19 | | All provisions of the Electronics, IT and ITeS Investment Policy of Chhattisgarh, 2014-19. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(A. P. Tripathi)
Special Secretary

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक : 21.04.2016

क्रमांक एफ 10—26/2016/वाक/पांच (53) — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

| अ.क्र. | माल का वर्ग | | | |
|--------|--|--|--|--|
| (1) | (2) | | | |
| 1. | तैयार वस्त्र, तैयार सूती होजयरी, बुने हुए सूती वस्त्र तथा तैयार नायलोन होजयरी | | | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (ए. पी. त्रिपाठी) विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 21.04.2016

क्रमांक एफ-10/26/2016/वाक/पांच (53).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2016/वाक/ पांच (53), दिनांक 21.04.2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (ए. पी. त्रिपाठी) विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, dated: 21/04/2016

No. F-10/26/2016/CT/V (53) — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax in whole for the period from 01.04.2016 to 31.03.2017, namely:—

SCHEDULE

| S. NO. | CLASS OF GOODS |
|--------|---|
| (1) | (2) |
| 1. | Ready-made garments, ready-made cotton hosiery, cotton knitted garments and ready-made nylon hosiery. |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(A. P. Tripathi) Special Secretary

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 29.4.2016

क्रमांक एफ—10—27/2016/वाक/पांच (54) — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, दिनांक 1.4.2016 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

| अ.क्र. | माल का वर्ग | निर्बन्धन तथा शर्ते | | |
|--------|-------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | | |
| 1. | लाख | जब निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो | | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> ्रिपुरेडी (ए.पी. त्रिपाठी) विशेष सचिव

नया रायपुर, दिनांक : 29.04.2016

कमांक एफ—10—27 / 2016 / वाक / पांच (54) — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ—10—27 / 2016 / वाक / पांच (54) दिनांक 29.4.2016 अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

> (ए.पी. त्रिपाठी) विशेष सचिव

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 29.4.2016

No. F-10-27/2016/CT/V (54) - In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempt the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax in whole, subject to the restrictions and conditions specified in column (3), for the period from 1.4.2016 to 31.3.2017, namely:—

SCHEDULE

| S. No. | Class of goods | Restrictions and conditions | | |
|--------|----------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | | |
| 1. | Lac | When entered into a local area for consumption or use, as raw material for the process of manufacture | | |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

(A. P. Tripathi) Special Secretary

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 19.7.2016

क्रमांक एफ-10-28/2016/वाक/पांच (67) — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतदद्वारा, उन उद्योगों (अपात्र). जो परिशिष्ट-तीन में विनिर्दिष्ट है, से भिन्न, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यवसायियों के वर्ग को, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक अथवा प्रथम बार कर से छूट लेने (चाहने) के दिनांक से, जो भी पहले हो, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, जहां उद्योग स्थित है, के अनुसार, कॉलम (4) में दर्शाय गये उद्योगों की श्रेणी में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिये, कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि हेतु, कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट निर्वधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, परिशिष्ट-एक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एवं परिशिष्ट-दो में विनिर्दिष्ट सामान्य शर्तों के अनुसार, उक्त अधिनियम के अधीन देय प्रवेश कर के भुगतान से, दिनांक 1 नवम्बर, 2014 से, पूर्ण छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

अनुसूची

| अ. | व्यवसायी का वर्ग | क्षेत्र, जहां | उद्योगों की श्रेणी | छूट की | मुख्य निर्बन्धन तथा शर्ती |
|-----|---|--|---|----------------------------|--|
| 顨. | | उद्योग स्थापित | | कालावधि | जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट |
| 1 | | है | | | दी गई है |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | ऐसे पंजीकृत व्यवसायी जिन्होंने सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद औद्योगिक इकाई या नेगा प्रोजेक्ट या अल्ट्रा नेगा प्रोजेक्ट के रूप में नवीन उद्योग की स्थापना की हो अथवा जिन्होंने विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार किया हो अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में शवलीकरण (डायवर्सीफिकेशन), पूर्व सूचना सहित किया हो : | (क) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (ओद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—7 के अनुसार) (ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (ओद्योगिक | (1) सामान्य उद्योग (औद्योगिक नीति 2014—19 की कंडिका 15.2(4) के अनुसार) (2) प्राथमिकता उद्योग (औद्योगिक नीति 2014—19 की कंडिका 15.2(2) के अनुसार) (1) सामान्य उद्योग (औद्योगिक नीति - 2014—19 की कंडिका 15.2(4) के | 5 বর্ষ 6 বর্ষ 7 বর্ষ | 1. जब छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की अनुसूची—दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल (राज्य में स्थित केस्टिव क्वारी / मायनिंग लीज से प्राप्त माल, डीजल तथा पेट्रोल को छोड़कर) के विनिर्माण प्रकिया में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाये । 2. स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया माल, वाणिज्यिक कर विमाग द्वारा जारे किये गये पंजीयन प्रमाण—पत्र में वर्ज हो। 3. उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करता हो। 4. व्यवसायी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छूट पात्रता प्रमाण पत्र का धारित करता हो: 5. नवीन औद्योगिक इकाईयों को मूल प्रस्तावित उत्पादन क्षमता तक छूट प्राप्त होगी एवं |

| • | |
|------------------------------|---|
| कंडिळा 15.2(2) के अनुसार) | विद्यगान औद्योगिक इकाईयों में विस्तार करने वाली इकाईयों को . विस्तारित उत्पादन क्षमता पर छूट प्राप्त होगी; एवं शवलीकरण (डायवर्सन) करने वाली . |
| . | औद्योगिक इकाईयों को प्रस्ताबित शवलीकरण पर छूट प्राप्त होगी। |
| | 6. व्यवसायी, राज्य के मूल निवासियों की, अकुशल श्रविकों के मामले में स्थूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रविकों के |
| | मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रशासकीय (प्रबंधकीय) पदों के मामले में न्यूनतम 33 प्रतिशत रोजगार प्रदान करेगः। |

टीप :

- (1) औद्योगिक नीति 2014—19 की कंडिका 15.20 के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्रों / क्षेत्र में नवीन भू—आबंटन प्राप्त कर स्थापित नवीन उद्योग को, उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित अविध के अतिरिक्त, एक वर्ष की अतिरिक्त कालाविध की छूट की पात्रता होगी। तथापि उद्योग, जो औद्योगिक क्षेत्र में भूमि हस्तांतरण के माध्यम से स्थापित है, उन्हें एक वर्ष की अतिरिक्त छूट उपलब्ध नहीं होगी।
- (2) औद्योगिक नीति 2014—19 की कंडिका 15.4 एवं 15.5 के अनुसार, अप्रवासी भारतीय (एन.आर. आई.), प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योग, विदेशी तकनीक के साथ उद्योग स्थापित करने वाले उद्योग, महिला उद्यमी, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राज्य के सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति या परिवार एवं निःशक्त वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र उद्योगों को, उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित अवधि के अतिरिक्त, एक वर्ष की अतिरिक्त छूट की पात्रता होगी । यदि इसमें सूचीबद्ध वर्ग के उद्यमी, उपरोक्त टीप (1) की परिधि में आते है. तो उन्हें टीप (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार अतिरिक्त 1 वर्ष की छूट की पात्रता होगी ।
- (3) यदि औद्योगिक नीति 2014—19 की कालाविध में भारत सरकार द्वारा गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) लागू किया जाता है तो प्रवेश कर के भुगतान से छूट, पात्रता की तिथि से गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) लागू होने की तिथि तक सीमित हो जायेगी ।
- (4) इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु, परिभाषायें निम्नानुसार है-
 - (एक) ''पंजीकृत व्यवसायी'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ मूल्य संवंधित कर अधिनियम, 2005 (क.2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यवसायी;
 - (दो) औद्योगिक नीति 2014--19 के परिशिष्ट--1 में विनिर्दिष्ट परिभाषाएं लागू होंगी;

- (तीन) शब्द, जो औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट-1 में परिभाषित नहीं है, उन्हें इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु, छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) में दी गई परिभाषा लागू होगी ।
- (5) औद्योगिक नीति 2014—19 के परिशिष्ट—1 के कंडिका 18 में दी गई टीप के अनुसार, "समामेलन या संविलय के कारण सृजित निवेश" से अभिप्रेत है विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के निवेश से सृजित विद्यमान आस्तियां, जिसमें भूमि, शेड एवं भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत एवं / अथवा जल आपूर्ति व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं, का पूर्ण या आंशिक रूप से उपयोग।

परिशिष्ट-एक

- 1. (एक) ऐसा कोई पंजीकृत व्यवसायी, जिसने पात्र नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित की है या विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार / शवलीकरण किया है एवं इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने की वांछा करता है, तो प्रपत्र—क में, पूर्ण आवेदन संबंधित जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिसमें ऐसी औद्योगिक इकाई स्थित है, को आवेदन करेगा । आवेदन सामान्यतः उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ उद्योग विभाग व वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र यथा ई०एम० पार्ट—। या राज्य शासन द्वारा जारी किये जाने वाला वैकल्पिक प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, ई०एम० पार्ट—। (यदि लागू हो तो), वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक कर विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र तथा औद्योगिक नीति 2014—19 की कंडिका 15.15 के अनुसार निवेशक के वर्ग से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
 - टीप: यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट हेतु संबंधित आवेदन किसी भी परिस्थिति में औद्योगिक नीति 2014—19 की कालावधि के अवसान के पश्चात् स्वीकार नहीं किये जायेंगे, किन्तु यदि किसी इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 1 वर्ष की अवधि, औद्योगिक नीति 2014—19 की कालावधि के अवसान के पश्चात् आती है, तो संबंधित इकाई के लिये आवेदन की अंतिम तिथि, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष की होगी।
 - (वो) जहां ऐसा आवेदन विहित्त समय सीमा के पश्चात किया गया हो, तथा ऐसे आवेदन पर विचार करने तथा पात्रता प्रमाण पत्र की पात्रता निर्धारण करने के संबंध में विनिश्चिय करने के लिये सक्षम समिति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन, व्यवसायी द्वारा पर्याप्त कारणों से समय पर प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, तो वह, कारणों को लेखबद्ध कर, ऐसे विलंब, जो कि 12 माह से अधिक नहीं होगी, माफ कर सकेगी और आवेदन के गुण—दोष के आधार पर विचार तथा उसका निपटारा कर सकेगी। इससे अधिक विलंब के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2. उक्त आवेदन की एक प्रति, उस वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी को भी प्रेषित की जायेगी, जिसमें ऐसा व्यवसायी छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (कृ. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत है।
- 3. आवेदन प्राप्त करने वाले जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक एवं वृत्त के वाणिज्यिक कर अधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रदान करेगा एवं इस अभिस्वीकृति में पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करेगा। आवेदन पत्र में किसी अपूर्ण विवरण की जानकारी, आवेदक को 15 दिवस के भीतर लिखित में दी जायेगी। तत्पश्चात् संशोधित आवेदन केवल एक ही बार ग्राह्य किया जायेगा।
- 4. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारी, आवेदन में दी गयी प्रविष्टियों की जांच तथा सत्यापन करने के पश्चात्, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों के प्रकरणों में, प्रतिवेदन क्रमशः मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं उप आयुक्त वाणिज्यिक कर को तथा मध्यम—वृहद औद्योगिक इकाई, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग के प्रकरणों में क्रमशः आयुक्त / संचालक, उद्योग एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर को प्रस्तुत करेंगे।

5. इस अधिसूचना के अधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट के लिये, ऐसी औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर विचार करने के लिये दो समितियां होंगी,—

(अ) जिला स्तरीय समिति-

1. जिला कलेक्टर अध्यक्ष

2. उद्योग संचालनालय में पदस्थ संयुक्त संचालक की श्रेणी से अनिम्न का **उपाध्यक्ष** अधिकारी

3. अग्रणी (लीड) बैंक अधिकारी सदस्य

उपायुक्त, वाणिज्यिक कर
 सदस्य

 महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (जो राज्य शासन के उद्योग विभाग के उप संचालक की श्रेणी का अधिकारी हो) सदस्य

6. मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र **सदस्य-सचिव**

(ब) राज्य स्तरीय समिति-

आयुक्त, वाणिज्यिक कर

2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन सदस्य लिमिटेड

3. आयुक्त / संचालक, उद्योग **सदस्य-सचिव**

6. जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 3 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 2 से होगी किन्तु जिला स्तरीय समिति के संबंध में गणपूर्ति, जिला स्तरीय समिति के अनुक्रमांक 4 पर एवं राज्य स्तरीय समिति के अनुक्रमांक 1 पर उल्लेखित सदस्य की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं मानी जायेगी ।

जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष की अनुपरिधित में, बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा की जायेगी एवं प्रकरणों पर निर्णय लिया जायेगा ।

जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठकों में, प्रकरण को, प्रकरण पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करते हुए उनके समक्ष रखे जायेंगे।

- 7. जिला स्तरीय समिति, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी तथा राज्य स्तरीय समिति मध्यम, वृहद, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की पात्रता का न्याय निर्णयन करेगी ।
- 8. राज्य स्तरीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शिथिल करने / जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध व्यवसायी की अपील पर सुनवाई करने की शक्ति होगी ।
- 9. जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने / निरस्त करने पर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, तद्नसुार पात्रता प्रमाण पत्र / निरस्तीकरण आदेश जारी करेगा। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण स्वीकृत करने / निरस्त करने पर, आयुक्त / संचालक, उद्योग तद्नुसार पात्रता प्रमाण पत्र / निरस्तीकरण आदेश जारी करेगा। निरस्तीकरण आदेश में निरस्तीकरण के कारण, अपील प्राधिकारी के पद अन्तर्विष्ट होंगे एवं अपील करने की निर्धारित अविध का भी उल्लेख होगा।
- 10. पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के पूर्व, व्यवसायी को स्वयं के व्यय पर, संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक के साथ, विहित प्ररूप में अनुबंध का निष्पादन एवं पंजीयन करना होगा ।
- 11. सिमिति, सामान्यतः बैठकें 3 माह में एक बार करेगी, किन्तु लंबित आवेदनों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये बैठक अधिक बार आहूत की जा सकेगी । सिमिति, प्रत्येक मामले पर विचार करने के पश्चात, पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन स्वीकृत करने या उसके लिये किये गये आवेदन को निरस्त करने या अतिरिक्त जानकारी मंगवाने का विनिश्चय कर सकेगी ।

- 12. राज्य स्तरीय समिति को, या तो स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के विनिश्चय का या जिला स्तरीय समिति के विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने की या जिला स्तरीय समिति को निर्देश देने की पूर्ण शक्तियां होंगी। राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति के निरस्तीकरण के आदेशों के विरुद्ध, अपीलीय समिति होगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा एक बार निर्णय हो जाने के पश्चात् औद्योगिक इकाईयों के पुनर्विलोकन संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 13. राज्य स्तरीय समिति द्वारा इस अधिसूचना के अधीन छूट की योजना के संबंध में जारी किये गये निर्देश, जिला स्तरीय समिति पर बाध्यकारी होंगे ।
- 14. इस अधिसूचना के अधीन किसी व्यवसायी द्वारा कर के भुगतान से छूट की पात्रता अथवा उससे संबंधित किसी विषय के संबंध में, राज्य स्तरीय समिति के विनिश्चय से उद्भूत किसी विवाद की दशा में, प्रकरण को राज्य अपीलीय फोरम को निर्दिष्ट की जा सकेगी। यह अपील, राज्य स्तरीय समिति के आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
 - (एक) राज्य अपीलीय फोरम में निम्नलिखित सदस्य होंगे-

| r | · | |
|----|---|-----------|
| 1. | भारसाधक मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग- | अध्यक्ष |
| 2. | भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक कर विभाग– | सदस्य |
| 3. | प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग | सदस्य |
| 4. | प्रमुख सचिव / सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग- | सदस्य |
| 5. | प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | सदस्य–सचि |

- (दो) राज्य अपीलीय फ़ोरम की गणपूर्ति तीन से होगी एवं गणपूर्ति, उप—कंडिका (एक) के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट सदस्य, तथा अनुक्रमांक 2 या 3 में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से किसी एक, की अनुपरिथित में पूर्ण नहीं मानी जायेगी।
- (तीन) राज्य अपीलीय फोरम, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक मामले पर विचार के पश्चात, अधिसूचना के उपबंधों के सामंजस्य को ध्यान में रखते हुये ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि वह उचित समझें। ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति को फोरम के समक्ष प्रकरण (पक्ष) प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा ।
- (चार) राज्य अपीलीय फोरम द्वारा पारित आदेश अंतिम एवं बंधनकारी होगा और उक्त आदेश का पुनर्विचार / पुनर्विलोकन ग्राह्य नहीं होगा।

परिशिष्ट-दो

इस अधिसूचना के अंतर्गत छूट, निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुये उपलब्ध होगी :--

- 1. (क) व्यवसायी इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत अधिकारी से प्रपत्र—ख में विनिर्दिष्ट प्ररूप तथा प्रिक्रिया में ऐसा पात्रता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे माल को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसके संबंध में छूट उपलब्ध है और अपने कर निर्धारण के समय, कर निर्धारण प्राधिकारी को ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा ।
 - (ख) ऐसे प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि व्यवसायी द्वारा अपनी उस तिमाही की विवरणी के साथ प्रस्तुत की जायेगी जिसके दौरान ऐसा प्रमाण पत्र उसे जारी किया गया हो।
 - (ग) शासन को देय अन्य वाणिज्यिक कर / वैट (VAT) का पूर्ण भुगतान का प्रमाण तथा पिछली तिमाही से संबंधित रिटर्न प्रस्तुत की जायेगी ।
- यदि व्यवसायी को पात्रता प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन में तथ्यों के सही ढ़ंग से प्रस्तुत न करने के कारण या उसके द्वारा दी गई अशुद्ध अथवा मिथ्यां जानकारी के आधार पर जारी हो गया है, तो प्रमाण पत्र उस तारीख से निरस्त कर दिया जायेगा जिस तारीख से वह जारी किया गया था और तदुपरांत इस अधिसूचना के अधीन दी गई ऐसी छूट वापस हो जायेगी और ऐसे कर की संपूर्ण रकम जिसके संबंध में छूट का लाभ निरस्तीकरण की तारीख तक ले

लिया गया है, व्यवसायी से एकमुश्त रकम, 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज सहित वसूली योग्य होगी।

- 3. (क) यदि व्यःपारी कोई नवीन औद्योगिक इकाई स्थापित करता है किंतु बाद में उसे बंद कर देता है या उसी उत्पाद के उत्पादन में लगी राज्य के भीतर की अपनी किसी विद्यमान औद्योगिक इकाई में उसका उत्पादन जानबूझकर सारवान रूप से घटाता है तो पात्रता प्रमाण पत्र, ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा तथा ऐसा निरस्तीकरण आदेश, उस तारीख से प्रभावशील होगा जिससे उत्पादन में ऐसी सारभूत कमी हुई है ।
 - (ख) उत्पादन से सारभूत कमी हुई तब समझी जायेगी, यदि उसी उत्पाद का उत्पादन तत्काल पूर्व के 5 वर्षों के औसत उत्पादन के स्तर से या स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से, उनमें जो भी कम हो. नीचे गिर गया है ।
- 4. ऐसा कोई व्यवसायी, जो उसके द्वारा स्थापित की गई नवीन औद्योगिक इकाई के संबंध में इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त करने का विकल्प लेता है और जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवंधित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत किसी अन्य व्यवसायिक क्रियाकलापों के लिये पूर्व से ही पंजीयन प्रमाण पत्र धारण करता है, ऐसे पंजीयन के होते हुये भी, नई विनिर्माता औद्योगिक इकाई के रुप में पृथक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- 5. (क) व्यवसायी छूट के लिये पात्रता की कालावधि के दौरान औद्योगिक इकाई को चालू रखेगा और छूट के लिये पात्रता की कालावधि समाप्त होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये भी उसे चालू रखेगा।
 - (ख) आयुक्त / संचालक, उद्योग की लिखित में पूर्व अनुज्ञा के बिना व्यवसायी,-
 - (1) संपूर्ण औद्योगिक इकाई या उसके भाग की स्थल में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, या
 - (2) औद्योगिक इकाई में कुल पूंजी निवेश के किसी सारभूत भाग का व्ययन नहीं करेगा, या
 - (3) उस कालावधि के दौरान जिसमें छूट का लाभ उठाया जा रहा है तथा छूट की पात्रता कालावधि की समाप्ति की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।

टीप- यदि उद्योग में 51 प्रतिशत से कम अंश है तो स्वामित्व परिवर्तन माना जावेगा।

- (ग) यदि स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमित दी जाती है तो इस अधिसूचना के अधीन व्यवसायी के समस्त अधिकार तथा दायित्व नये स्वामी को अंतरित हो जायेंगे ।
- 6. व्यवसायी, छत्तीसगढ़ मूल्य संवंधित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कर विवरणी, नियमित रूप से वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- 7. प्रत्येक व्यवसायी, क्रय किये गये माल तथा विकय किये गये उत्पादों के, जिनके संबंध में कर के भुगतान से छूट की सुविधा का लाभ लिया जा रहा है, ब्यौरे उपदर्शित करते हुये एक खाता संधारित करेगा ।
- 8. यदि कर की वह रकम, जिसके संबंध में एक वर्ष में रू. 5 लाख से अधिक का छूट का लाभ लिया जा रहा है, तो पात्रता प्रमाण-पत्र तभी विधिमान्य होगा, जबिक व्यापारी, सम्यक् रूप से स्वप्रमाणित, हस्ताक्षरित, उत्पादन संबंधी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के रूप में वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है |

- 9. व्यवसायी, पात्रता प्रमाण पत्र की अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान, राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिक, कुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय वर्ग में इस अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत में रोजगार प्रदान करेगा ।
- 10. (क) इस अधिसूचना के किन्हीं प्रावधानों एवं किन्हीं शर्तों का उल्लंघन, इस अधिसूचना के अंतर्गत ऐसे प्रमाण पत्र को जारी करने की मंजूरी देने वाली समिति द्वारा ऐसे पात्रता प्रमाण पत्र रदद किये जाने के लिये दायित्वाधीन होगा ।
 - (ख) यदि परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो तो ऐसे निरस्तीकरण को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा सकेगा।

परिशिष्ट—तीन (औद्योगिक नीति 2014—19 का परिशिष्ट—2) (संतृप्त अपात्र उद्योगों की सूची)

(अ) सम्पूर्ण राज्य हेतु सतृप्त अपात्र उद्योगों की सूची-

- 1. पान मसाला, गुटखा, सुपारी एवं तबाखू आधारित उद्योग.
- 2. एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस.
- फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग.
- 4. आरा मिल (सॉ मिल).
- लेदर टैनरी.
- 6. स्लाटर हाउस (बूचड़ खाना).
- 7. किसी भी उत्पाद की रि-पैकिंग.
- मैनरल वाटर.
- 9. पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बैग्स को छोड़कर).
- 10. कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर).
- चूना निर्माण, चूना पाउडर, चूना चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर.
- 12. समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग / ग्राईडिंग / पलवराइजिंग.
- 13. स्टोन क्रेशर/ गिट्टी निर्माण.
- 14. स्पंज आयरन.
- विलंकर.
- 16. ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किये जाये।

ं (ब) औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों हेतु संतृप्त उद्योगों की सूची—

- राईस मिल, पेडी परबायलिंग एवं मेकेनाइज्ड क्लीनिंग.
- 2. हालर मिल.
- 3. मुरमुरा मिल.
- 4. राईस ब्रान आधारित साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट.
- खाद्य तेल की रिफाईनिंग (स्वतंत्र इकाई) / रिफाईनरी.
- मिनी सीमेंट प्लांट.
- ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं.

टीप:— संतृप्त श्रेणी का उद्योग किसी अन्य श्रेणीं के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना में किये गये निवेश में से संतृप्त श्रेणी के उत्पाद में किये गये निवेश को कम कर शेष निवेश पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

प्रपत्र-क

| | प्रवेश कर की | फट हेत पात्रत | ।। प्रमाणपत्र के वि | त्रेये आतेटन | | |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---|-------------|---------|
| | | | | | | |
| (रामिक्सिक का दि | शाद कि प्रमार्थ | कांप्रक १६५५म | | दिनांक | | वासीयां |
| (4))*((044) 4)* (4 | 44111 471 0119 | יטוריא ורטוזי | ******************* | 14.114/ *********************************** | 42 | બાબા મ |

| | (वाणिजि | थक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक के अधीन) |
|----------------|----------------------------|---|
| वैधता में न | : सन् 2 दिनांक वीन औ | |
| 1. | (अ) | औद्योगिक इकाई का नाम व पता |
| | (ब) | उद्योग स्थापना का स्थल ग्राम विकासखण्ड जिला जिला |
| 2. | पंजीय | न का विवरणः |
| | (अ) | ई.एम. पार्ट—1 / वैकल्पिक प्रमाण पत्र |
| | | ई.एम. पार्ट—2 |
| | | आई.ई.एम. क्र. |
| | | औद्योगिक अनुज्ञप्ति क्र. |
| | (ब) | वाणिज्यिकः उत्पादन प्रमाणपत्र |
| | (स) | छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन |
| | (द) | अन्य (यदि कोई हो, कृपया विनिर्दिष्ट करें) |
| 3. | उद्योग | की श्रेणी |
| | | नवीन औद्योगिक इकाई/विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार/विद्यमान औद्योगिक में शवलीकरण |
| | (ৰ) | सूक्ष्म / लघु / मध्यम / बहुल / वृहद् / वृहत्तर |
| 4. | उद्यगि | मेता की श्रेणीः |
| | निवेश स्थान | ान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनिवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी रा/आयात इकाई/विदेशी तकनीक का उपयोगकर्ता उद्योग/महिला उद्यमिता/राज्य का नीय सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिक/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार/शारीरिक रूप से ांग व्यक्ति |
| 5. | उद्यो | ग के उत्पाद का विवरणः |
| | (1) ন | वीन (1) उत्पाद का नाम |
| | | (2) वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा में) |
| | | (3) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक |
| | (2) | विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार |
| | | 1. उत्पाद का नाम |
| | | विस्तार के पूर्व वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा में) |
| | | विस्तार के पश्चात् वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा में) |
| | | 4. विस्तारित उत्पादन क्षमता |

(3) विद्यमान उद्योग इकाई में शवलीकरण

5.

क्षमता विस्तार में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

- 1. विद्यमान इकाई में उत्पाद व उत्पादन क्षमता (मात्रा में)
- 2. विद्यमान इकाई में शवलीकरण
 - (एक) शवलीकृत उत्पाद
 - (दो) शवलीकृत उत्पाद की वार्षिक उत्पादन क्षमता (मात्रा)
 - (तीन) शवलीकृत उत्पाद के उत्पादन प्रारंभ होने का दिनांक
- 6. नवीन औद्योगिक इकाई / विद्यमान औद्योगिक इकाई में विस्तार / विद्यमान औद्योगिक इकाई में शवलीकरण में स्थायी पूंजी निवेश

(रूपये लाख में)

| स.क. | विवरण | | | निवेश का विवरण | | |
|------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| | 1 | नवीन | विद्यमान | विद्यमान उद्योग में | कुल स्थायी | प्रतिशत |
| | | औद्योगिक | उद्योग | ः विस्तार / शवलीकरण | पूंजी निवेश | वृद्धि |
| | | इकाई | | İ | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | भूमि | | : | | | |
| 2. | शेड / भवन | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | : | | |
| 3. | प्लांट एवं | | | | | |
| | ; मशीनरी | | | | | |
| 4. | विद्युत आपूर्ति | | · | | | |
| 5. | जल आपूर्ति | | | | <u> </u> | |
| | योग | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

- 7. नवीन औद्योगिक इकाई / विद्यमान औद्योगिक इकाई में उत्पादन क्षमता के विस्तार / शवलीकरण में विनिर्मित उत्पादों की प्रविष्टि / प्रविष्टियों का विवरण—
 - (क) वैट पंजीयन प्रमाण पत्र
 - (ख) वाणिज्यिक उत्पादन प्रभाण पत्र
- 8. विनिर्माण की प्रक्रिया में उपभोग अथवा उपयोग के लिये माल की विशिष्टियां—

स.क्र. माल का विवरण भात्रा 12 3

- 9. कच्चे माल के प्रथम क्रय का दिनांक तथा नाम
- 10. रोजगार के मापदण्ड का अनुपालन-
 - (अ) नवीन औद्योगिक इकाई

| श्रम की श्रेणी | प्रदत्त रोजगार की कुल संख्या | राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार की संख्या | कुल प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों . को दिये गये रोजगार का प्रतिशत |
|---------------------|------------------------------------|---|--|
| (1) अकुशल श्रमिक | (2) | (3) | (4) |

| | कुशल श्रमिक | | | | | | ································· | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| | प्रशासकीय / प्रबंधकीय पद | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| (| (ब) विद्यमान औद्ये | ोगिक इकाई में | विस्तार / १ | सवलीकरण | | | | |
| | विद्यमान औद्योगिक इकाई में रोजगार | ! इकाई में वार्र | णेज्यिक । 1 करने : 16 दिया : | विद्यमान उद्यो विस्तार/ शवलीकरण पश्चात दिया रोजगार | के गया | विद्यमान उद्योग में विस्तार / शवलीकरण के पश्चात् दिया गया कुल रोजगार | में हुई वृद्धि | रोजगार वृद्धि का प्रतिशत |
| | (1) | (2) | | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| | अकुशल श्रमिक | | | | | • • | | |
| | कुशल श्रमिक प्रशासकीय / प्रबंधकीय पद | ! | | . · | | | | · |
| | योग | | , | | - | | : | |
| 11. 12. 13. स्थान दिनांक | प्रवेश कर से छूट (वाणिज्यिक उत्पाद इकाई का बैंक ख पैन नम्बर / टिन आवेदक निवे लिए स्थायी पात्रत | दन प्रारंभ करने ाता नम्बर – /सिन नम्बर – दन करता है वि | का दिनांक - - के उक्त उ | अधिसूचना के | | नेने का दिनांक, ७ प्रवेश कर के भुग | | |
| | | | <u>घोष</u> | षणापत्र | | हस्ताक्षर | /पदमुद्रा स | हित |
| दी गयी | मैं(औद्योगिक इ जानकारी मेरे ज्ञान | न में पूर्णतः सही | है, एवं मैं | ने अधिसूचना | का पूर्ण | तः अध्ययन कर ि | लेया है और | में . |
| स्थापना है। मेरे पत्र निस् तक ले | मेरे द्वारा उक्त आं ाई मुख्य निर्बन्धन / संचालन हेतु आ द्वारा किसी भी शत रस्त किया जाता है लिया गया है, उ | तथा शर्तों का प विश्यक अनापत्ति र्न का उल्लंघन र्न तो मेरे द्वारा सं | पूर्णतः पाल १ प्रमाण प केये जाने पूर्ण कर व | ान किया जारे पत्र जिनका वि पर स्वीकृतक की रकम जिसा | ोगा। या वेवरण वि र्ता अधि की छूट | ह भी घोषित कर निम्नानुसार है, वै कारी द्वारा यदि ६ का लाभ निरस्ती | ता हूँ कि उ घ है/नवीर्न ठूट पात्रता प्र करण की ता | द्योग ोकृत माण रीख |
| | | | | | | र पदनाम | | |

प्रपत्र–ख

प्रवेश कर छूट के लिये पात्रता प्रमाण–पत्र

| (वाणिरि | ज्येक क | र विभाग | की अधिसूचना क्रमांक | दिनांक | के अधीन जारी) |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|
| मूल्य सं पंजीयन औद्योगि | वर्धित व प्रमाण क इक | रुर अधिां पत्र क्रमां ाई ∕ वि | नेयम 2005 के अधीन वाणि कदिनांक | ाज्यिक कर अधिकार्र का धार में विस्तारित क्षमत | छत्तीसगढ़ ो वृत द्वार जारी रक व्यवसायी है व व्यवसायी नवीन ा / विद्यमान औद्योगिक इकाई भें |
| है / विद्य माल के | ामान औ उपभोग | द्योगिक ा अथवा | इकाई में शवलीकरण किया उपयोग के संदर्भ में उक्त | है और वह माल के छूट प्राप्त करने की | औद्योगिक इकाई में विस्तार किया विनिर्माण में नीचे दर्शाये अनुसार पात्रता रखता है और उक्त माल प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट है— |
| | (1) (2) | | | | |
| | (3) | | | | |
| 3. | व्यवसार | | पीन औद्योगिक इकाई स्थाप | | गन औद्योगिक इकाई में विस्तार/ क उत्पादन प्रारंभ किया है । |
| 4. | नवीन र | औद्योगिक | इकाई का उत्पाद एवं वाषि | कि उत्पादन क्षमता - | - |
| | | | | या | |
| | विद्यमान | । औद्योगि | ोक इकाई के विस्तार पर वि | रितारित वार्षिक उत्पा | दन क्षमता— |
| | | (क) वि | स्तार के पूर्व उत्पादन क्षमता | | |
| | | (ख) वि | स्तार के पश्चात् उत्पादन क्ष | मता | ······································ |
| | | (ग) या क्षमता | | न्रण के तहत् शवली | कृत उत्पाद का नाम एवं उत्पादन |
| 5. | व्यवसाय | र्यी द्वारा | प्रवेश कर से छूट हेतु चयनि | त दिनांक | |
| 6. | | | नई औद्योगिक इकाई/विद्या को प्रारंभ | | में विस्तारित क्षमता में वाणिज्यिक |
| 7. | उद्योग | की श्रेंणी | (सामान्य क्षेत्र उद्योग / प्राथ | मिकता श्रेणी उद्योग). | |
| 8. | उद्योग | स्थापना | का क्षेत्र (औद्योगिक दृष्टि से | विकासशील क्षेत्र/ | औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र) |
| | | ··········· | 2 2 | • | |
| 9. | | - | ई की उत्पादन क्षमता | | |
| | (ক) | | भौद्योगिक इकाई की स्थापित | | |
| | (ख) | | । औद्योगिक इकाई में विस्ता | | |
| | | | विस्तार के पूर्व उत्पादन क्षर | | , |
| | | (दो) | विस्तार के पश्चात उत्पादन | क्षमता | |

| | (ग) | विद्यमान औद्योगिक इकाई में शवलीकरण |
|---------|-------------|---|
| | | (एक) शवलीकृत उत्पाद का नाम |
| | | (दो) शवलीकरण के पूर्व उत्पादन क्षमता |
| | | (तीन) शवलीकरण के पश्चात उत्पादन क्षमता |
| 10. | | ाण पत्र दिनांक से दिनांक तक (दोनों दिन सम्मिलित करते अवधि के लिये विधिमान्य है । |
| स्थान | | |
| दिनांक. | | |
| | | हस्ताक्षर |
| | | पदनाम |
| | | आयुक्त/संचालक उद्योग |
| | | /मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक |
| | | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (नाम) |
| | | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से |
| | | तथा आदेशानुसार, |
| | | -V. Tripally |
| | | (ए.पी. त्रिपाढी) |
| | | विशेष सचिव |
| | | नया रायपुर, दिनांक : 19.07.2016 |
| क्रमांक | | 0 28/2016/वाक/पांच (67) — भारत के संविधान के अनुन्छेद 348 के खंड |
| | | में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-10-28/2016/वाक/पांच (67) |
| दिनांक | 5 19.7.2 | 016 अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता |
| है । | | |
| | | छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से |
| | | तथा आदेशानुसार, |
| | | - Virgalli |
| | | (ए.पी. त्रिपाठी) |
| | | विशेष सचिव |

Government of Chhattisgarh Commercial Tax Department Mantralaya, Mahanadi Bhayan, Naya Raipur

NOTIFICATION

Naya Raipur, Dated 19.7.2016

No. F-10-28/2016/CT/V (67) — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts in whole from payment of Entry Tax payable under the said Act, to the class of dealers specified in column (2) of the Schedule below, other than those industries (ineligible) as specified in Annexure-III, from the date of commencement of commercial production or from the desired date of exemption from tax in first time, whichever is earlier; according to the area specified in column (3) where industry is situated and to the industries specified in class of industries of column (4), for the period specified in column (5), subject to the major restrictions and conditions specified in Column (6) of the said Schedule, in accordance with the procedure specified in Annexure-I and general conditions specified in Annexure-II, with effect from 1st November, 2014, namely:-

SCHEDULE

| S. No. | Class of dealers | Area, where industry is | Class of industries | Period of Exemption | Major restrictions and conditions subject to |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|
| | I | situated | . | | which exemption is |
| | | ! | | | granted |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| l | Such registered dealers | (a) In the | (1) General | 5 years | 1. When the goods |
| | who have established a | industrially | Industry | | specified in Schedule-II |
| | new industries in the | developing | (as per para | | and III of the |
| | form of Micro/Small/ | areas | 15.2 (4) of | | Chhattisgarh Sthaniya |
| | Medium/ Large | (as per | Industrial | ı | Kshetra Me Mal Ke |
| | Industrial Unit or Mega | appendix-7 | Policy | 1 | Pravesh Par Kar |
| | Project or Ultra Mega | of Industrial | 2014-19) | | Adhiniyam, 1976 (No. 52 |
| | Project | Policy 2014- | | | of 1976) (excluding the |
| | or | 19) | (2) Priority | 6 years | goods obtained from |
| | who undertakes | | Industry | : | captive quarry/mining |

| | expansion | | (as per para | | lease in the State, diesel |
|-----|--------------------------|---------------|--------------|-------------|--|
| | or | | 15.2(2) of | | and petrol) entered in to a |
| | diversification in the | | Industrial | | local area for |
| | existing industrial unit | | Policy | i i | consumption or use in the |
| | with prior | | 2014-19) | | process of manufacture. |
| | acknowledgement. | | , | | |
| | | | | | 2. The goods entered into |
| | | | | | specified in Registration |
| | | (b) In | (1) General | 6 years | Certificate issued by the |
| | | industrially | Industry(as | | Commercial Tax |
| | | backward | per para | | Department. |
| | | areas (as per | 15.2(4) of | | Dopartment. |
| | | appendix-8 | Industrial | | |
| | | of Industrial | Policy | | 3. Dealer holds a |
| | | Policy 2014- | 2014-19) | | commercial production |
| | | 19) | | | certificate issued by the |
| : | | | (2) Priority | 7 years | competent authority of the |
| ! | | | Industry (as | | Industries Department. |
| į | | | per para | | |
| | | | 15.2(2) of | | 4. Dealer holds the |
| | | | Industrial | | exemption eligibility |
| | | : | Policy | | certificate issued by the |
| | | | 2014-19) | | competent authority. |
| | | | | | E TOLE NIE YELDER |
| ' | | | | | 5. The New Industrial Unit shall get the |
| | | | | | ١ - |
| | | | | | ' ' |
| | | | | | originally proposed production capacity; the |
| | | | | , | units undertaking |
| | | | | | expansion in existing |
| | | | | | industrial unit shall get |
| | | | | | the exemption on |
| | | | 1 | 1 | expanded production |
| | | | | | capacity; and Industrial |
| | | | | • | Units undertaking |
| | | | | | diversification shall get |
| | | | | i | exemption on proposed |
| . ! | | | | | diversification. |
| j | • | • | | | a sion carrott |
| | | | | | 6. The dealer shall |
| I | | | | | provide employment to, |
| | | | | | in case of unskilled |
| | | | | | labours at least 90 |
| | | | | | percent, in case of skilled |
| | | | | | workers at least 50 per |
| | • | | | | cent and in case of |
| | | | | | administrative staff at |
| | ···· | · | · | · | <u> </u> |

| | | | least | 33 | per | cent, |
|------|---|--|--------|--------|----------|-------|
| | · | | domici | led in | the Stat | e. |

Note:

- (1) As per para 15.20 of Industrial Policy 2014-2019, new industries established by new allotment of land in Industrial areas/park, shall be eligible for additional period of one year exemption, in addition to period mentioned in the schedule above. However for industries established by transfer of land in industrial area, additional exemption of 1 year shall not be available.
- (2) As per para 15.4 and para 15.5 of Industrial Policy 2014-19, eligible industries established by Non Resident Indians (NRI), Foreign Direct Investment, Export Unit, Industries using Foreign techniques, women entrepreneur, retired Indian Military soldier/s of state origin, person or families affected by naxalism and physically challenged entrepreneur shall be eligible for an additional one year exemption, in addition to period mentioned in the schedule above. Also, if the category of entrepreneur enlisted herein, falls within as per Note (1) above, then they shall be entitled for an exemption of another 1 year as specified in Note(1).
- (3) In case Goods and Services Tax (GST) is enforced by the Government of India during the period of the Industrial Policy 2014-19, the exemption from Entry Tax will be limited from date of eligibility to the date of enforcement of GST.
- (4) For the purpose of this notification, definitions are as under -
 - (i) "Registered Dealer" means the dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005(No.2 of 2005).
 - (ii) The definitions specified in Annexure 1 of Industrial Policy 2014-19 shall be applicable.
 - (iii) For the terms which are not defined in Appendix 1 of the Industrial Policy 2014-19, the definition given in the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) shall be applicable for the purposes of this notification.
 - (5) As per note appended to para 18 of Appendix 1 of the Industrial Policy 2014-19, "investments generated due to amalgamation or merger" means the complete or partial usage of existing assets, which includes land, shed and building, plant and machinery, electricity and /or water supply system etc, created by investment of existing industries.

ANNEXURE-I

1. (One) A registered dealer who establishes a new eligible industrial unit or undertakes expansion/diversification in the existing industrial unit and is desirous of availing exemption from payment of entry tax under this notification, shall make an application in Form A, complete in all respect, to the Chief General Manager / General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district wherein such industrial unit is located. The application shall be made ordinarily within 1 year from the date of commencement of commercial production in the industry. The certificates issued by Industries Department

and Commercial Tax Department such as E.M. part-1 or an alternative certificate issued by the State Government (as the case may be), E.M. part-2 (if applicable), Commercial Production Certificate, registration certificate of Commercial Tax Department and self attested certificate related to investor class as per Para 15.15 of the Industrial Policy 2014-19, shall be attached along with the application.

Note: It is clarified that application related to entry tax exemption under this notification shall not be accepted in any condition after expiry of the period of Industrial Policy 2014-19, but if the period of I year from the date of commercial production of any unit falls beyond the expiry of Industrial Policy 2014-19, then the last date of application for concerned unit shall be one year from the date of commencement of commercial production.

(Two) Where such an application is made after the prescribed time limit and the competent Committee to consider such application and to take a decision with regard to the determination of an eligibility of the certificate, is satisfied that the application could not be submitted by the dealer in time for sufficient reasons, then it may, for reasons to be recorded in writing, condone such delay, which shall not be more than 12 months, and consider and dispose off the application on merits. There shall not be considered on the case of further delay.

- One copy of the said application shall also be sent to the Commercial Tax Officer of the circle where such dealer is registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005)
- 3. The Chief General Manager / General Manager, District Trade and Industry Centre and Commercial Tax Department of the circle receiving the application shall give the acknowledgement of the receipt of the application and registration number will be mentioned in this acknowledgement. Any incomplete details in the application form will be given in writing within 15 days to the applicant. Thereafter corrected application will be accepted only once.
- 4. In case of Micro and Small Industrial Unit, officer of District Trade and Industry Centre/Commercial Tax Officer shall after enquiry and verification of the particulars given in the application, submit his report to the Chief General Manager/General Manager, District Trade and Industry Centre and Deputy Commissioner Commercial Tax respectively and in case of Medium-Large Industrial Unit, Mega Project and Ultra Mega Industry to the Industries Commissioner/Director and Commissioner of Commercial Tax respectively.
- 5. There shall be two Committees for considering the application made by such industrial units for exemption from payment of entry tax under this notification, -

(a) The District Level Committee-

1. Collector of the District

Chairman Vice-

2. Officer not below the rank of Joint Director posted in the Directorate of Industries.

Chairman

3. Lead Bank Officer

Member

6. Chief-General Manager/General Manager, District Trade and Member-Industry Centre Secretary

(b) The State Level Committee -

Commissioner, Commercial Tax
 Managing Director, Chhattisgarh State Industrial Development
 Corporation Ltd.
 Commissioner/Director Industries
 Member
 Secretary

6. The quorum for the District Level Committee shall be 3 and for the State Level Committee it shall be 2, but the quorum in respect of the District Level Committee shall not be deemed to have been completed in the absence of the Member mentioned at serial number 4 of the District Level Committee and Serial No. 1 of the State Level Committee.

In the absence of the Chairman, the Vice-chairman of the District Level Committee shall preside and decide the matters thereof.

In sittings of District level committee and State level committee, the case shall be presented before them by mentioning the Case Registration number.

- 7. The District Level Committee shall adjudge the eligibility of Micro & Small Industrial Units and the State Level Committee shall adjudge the eligibility of the Medium / Large Industrial Unit, Mega Project and Ultra Mega Project.
- 8. State Level Committee shall have the power to condone the delay in the filing of application / to hear the appeal of dealers against the orders of the District Level committee.
- 9. On approval / rejection of case by District Level Committee, Chief General Manager/General Manager of District Trade and Industries Centre will accordingly issue eligibility certificate / Cancellation order. On approval / rejection of case by State Level Committee, Commissioner/Director Industries will issue accordingly eligibility certificate/Cancellation order. Cancellation Order shall contain reasons of cancellation, designation of appellate authority and also mention specified period for appeal.
- 10. Before issuing eligibility certificate, the dealer shall have to execute and register an agreement in the prescribed form on his own expenses with the Chief General Manager/General Manager of the concerned District Trade and Industry Centre.
- 11. The Committee shall ordinarily meet once in 3 months but meeting may be convened more frequently keeping in view the number of pending applications. The Committee

may after consideration of each case decide to grant the eligibility certificate or to reject the application made thereof or call for additional information.

- 12. The State Level Committee shall have all powers either suo motto or on reference, to review its own decision or the decision of the District Level Committee or to give direction to the District Level Committee. State Level Committee shall be Appellate Committee against cancellation orders of the District level Committee. Once the matter is decided by the State Level Committee, review request of Industrial Units shall not be accepted.
- 13. The directions issued by the State Level Committee under this notification in respect of exemption scheme shall be binding on District Level Committee.
- 14. In the event of any dispute arising out of the decision of the State Level Committee regarding the eligibility of the facility of exemption from payment of tax by any dealer under this notification or any matter connected therewith, the matter may be referred to the State Appellate Forum. This appeal may be lie within 60 days from the date of communication of the order of State Level Committee.
 - (i) The State Appellate Forum shall consist of:

| 1. Minister in-charge, | Commerce and | Industries Department | Chairman |
|------------------------|--------------|-----------------------|----------|
|------------------------|--------------|-----------------------|----------|

- 2. Minister in-charge, Commercial Tax Department Member
- 3. Principal Secretary/Secretary, Commercial Tax Department Member
- 4. Principal Secretary/Secretary, Law and Legislative Affairs Member Department
- 5. Principal Secretary/Secretary, Commerce and Industries Member-Department Secretary
- (ii) The quorum for the State Appellate Forum shall be three and the quorum shall not be deemed to have been completed in absence of the member specified at Sr. No.4 and any one out of the members specified at Sr. No. 2 or 3 of sub para (i).
- (iii) The State Appellate Forum shall, after consideration of each case referred to it, pass such order keeping in consonance with the provisions of the notification as it may think fit. Before passing of such order, Member Secretary, State Level Committee shall be given an opportunity to present case before Forum.
- (iv) The order passed by the State Appellate Forum shall be final and binding and reconsideration/review of said order shall not be entertained.

ANNEXURE-II

The exemption under this notification shall be available subject to the following general conditions:-

- 1. (a) The dealer shall obtain a permanent eligibility certificate from the officer authorised for this purpose in the form and procedure specified in Form-B specifying *inter alia* the goods in respect of which the exemption is available and shall furnish a copy of such certificate to the assessing authority at the time of his assessment.
 - (b) A copy of such certificate shall be furnished by the dealer along with his return for the quarter during which such certificate was issued to him.

- (c) Complete payment of other commercial taxes / VAT payable to Government and return of the last quarter shall be submitted.
- 2. If an eligibility certificate has been issued to a dealer due to misrepresentation of facts or on the basis of incorrect or false information furnished by him, the certificate shall be revoked from the date it was issued and thereupon the exemption under the notification shall stand withdrawn and the entire amount of tax in respect of which exemption has been availed of up to the date of cancellation shall be recoverable from the dealer in one installment along with simple interest of 12% per annum.
- 3. (a) If a dealer establishes a new industrial unit but closes down or deliberately reduces production substantially in an existing industrial unit within the state engaged in production of the same product, the eligibility certificate shall be cancelled by the competent authority issuing of such certificate and such cancellation order shall take effect from the date on which such substantial reduction in production has taken place.
 - (b) A substantial reduction in production shall be deemed to have occurred if the production of the same product has fallen below the level of the average production of the preceding 5 years or 50% of the installed capacity, whichever is less.
- 4. A dealer who opts to avail of exemption under this notification in respect of a new industrial unit established by him and who already holds a registration certificate under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) for any other business activity shall, notwithstanding such registration, obtain a separate registration certificate as a new manufacturer industrial unit.
- 5. (a) The dealer shall keep the industrial unit running during the period of eligibility for exemption and also continue to do so for a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.
 - (b) Without the prior permission in writing of the Commissioner /Director Industries, the dealer shall not.-
 - (1) Change the location in whole or in part of the industrial unit; or
 - (2) Dispose of any substantial part of the total capital investment in the industrial unit; or
 - (3) Effect any change in the ownership during the period in which the facility of exemption is availed of and also within a period of five years from the date of expiry of the period of eligibility for exemption.
 - Note: Change of ownership will be considered if holding is of less than 51% shares in the industry; or
 - (c) in case a change in ownership is permitted, all the rights and liabilities under this notification shall passed on to the new owner.
- 6. The dealer shall regularly furnish the returns required to be furnished under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.2 of 2005) and the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), before the Commercial Tax officer.

- 7. Every dealer shall maintain a ledger including details of materials purchased and products sold in respect of which the facility of exemption from payment of tax is availed of.
- 8. If the amount of tax in respect of which the facility of exemption is availed of exceeds Rs. 5 Lakhs in a year, the certificate of eligibility shall be valid only if the dealer produces an affidavit before the concerned Commercial Tax Officer a duly signed and self attested certificate of production.
- 9. The dealers shall provide minimum percentage of employment specified under this notification to the persons domiciled of the state in the category of unskilled labour, skilled labour and administrative posts during each year of the period of Eligibility Certificate.
- 10. (a) Any breach of any of the provisions and any of the conditions in this notification shall render the eligibility certificate liable for cancellation by the Committee sanctioning the issue of such certificate under this notification.
 - (b) If the circumstances so warrant, such cancellation may be given retrospective effect.

ANNEXURE-III (Appendix-II of Industrial Policy 2014-19) (List of Saturated ineligible Industries)

(a) List of saturated industries for the entire state -

- 1. Pan Masala, Gutkha, Supari and tobacco based industries.
- 2. Alcohol, Distillery and alcohol based beverages.
- 3. Crackers, Matchbox and industries related to Fireworks.
- 4. Saw mill.
- 5. Leather tannery.
- 6. Slaughter house.
- 7. Re-packing of any product.
- 8. Mineral water.
- 9. Polythene Bag (excluding HDPE bags).
- 10. Coal and Coke briquette, coal screening (excluding coal washery).
- 11. Manufacturing of Lime, Lime powder, Lime chips, Dolomite powder and all types of mineral powder.
- 12. Crushing, grinding and pulverizing of all type of mineral materials.
- 13. Stone crusher / manufacturing of Ballast (gitti).
- 14. Sponge Iron.
- 15, Clinker,
- 16. Such other industries which may be notified by the State Government.

(b) List of saturated industries for industrially developing areas-

- 1. Rice Mill, Paddy parboiling and mechanised cleaning.
- 2. Huller Mill.
- 3. Murmura Mill.
- 4. Solvent Extraction Plant based on Rice bran.
- 5. Refining of edible oil (independent unit)/refinery.

6. Mini Cement Plant.

(1) New (1) Product Name

7. Such other industries which may be notified by the State Government.

Note- In case of establishment of industry of saturated category along with industry of any other category, the eligibility under industrial investment promotion shall be decided by way of deducing the investment made on saturated category product from the investment of entire project.

| FORM-A |
|--|
| Application for eligibility certificate for exemption from payment of entry tax |
| (Under Commercial Tax Department Notification NoDated) |
| I |
| 1 (A) – Name and Address of Industrial Unit |
| (B) -Factory Installation Location - Village Block District |
| 2 Registration Details: |
| (A) E.M. part-1/ Alternate Certificate |
| E.M. part-2 |
| I.E.M. No. |
| Industrial License No. |
| (B) Commercial Production Certificate |
| (C) Under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2of 2005) |
| (D) Others (if any, pl specify) |
| 3 Category of Industry |
| (A) New industrial unit / Expansion in the existing industrial unit/ Diversification in the existing Industrial Unit (B) Micro/Small/Medium/Large/Mega/Ultra Mega 4. Category of Entrepreneur: |
| General/SC/ST/NRI/FDI/Export Unit/ Industry using Foreign Technology /Women Entrepreneur/Retd Military Personnel of State origin / Naxalism Affected Person/family/Physically Challenged Person |
| 5. Industry Product Details: |

| (2) Annual Production Capacity (in Quantity) | |
|---|--|
| (3) Date of commencement of Commercial Production | |
| | |

- (2) Expansion in the existing Industrial unit
 - 1. Product Name
 - 2. Annual Production Capacity(in Quantity) before expansion
 - 3. Annual Production Capacity (in Quantity) after expansion
 - 4. Expanded Production Capacity
 - 5. Date of commencement of Commercial Production in the expanded capacity
- (3) Diversification in the Existing Industrial Unit
 - 1. Product and Production capacity (in Quantity) in the existing Unit
 - 2. Diversification in the existing Unit
 - (i) Diversified Product
 - (ii) Yearly production capacity(in Quantity) of Diversified Product
 - (iii) Date of commencement of production of Diversified Product
- 6. Fixed capital investment in the New Industrial Unit / expansion in the existing industrial unit/ Diversification in the existing Industrial Unit

(Rs in Lakhs) Sl.No. Particulars **Investment Details** Percentage Increase New Existing Expansion/ Total Fixed Diversification Capital Industrial Industry Unit in the existing Investment Industry (1)(2) (3)(4) (5) (6) (7)1. Land 2 Shed /Building 3 Plant & Machinery Electricity 4 Supply 5 Water Supply Total

| 7. | Details | of | Entry/ies | of | Product/s | manufactured | in | New | Industrial |
|----|----------|--------|---------------|---------|---------------|-------------------|---------|-----------|------------|
| | Unit/Exp | ansio | n/Diversifica | tion (| of Production | Capacity in Exist | ting Ir | ndustrial | Unit in |
| | (a) VAT | Γ Regi | stration Cert | ificate | ; | | | | |
| | (b) Con | nmere | ial Productio | n Cert | tificate | | | | |

| გ. | Particulars (| of goods for consumption or use in the process of many | uracture- |
|----|---------------|--|-----------|
| | S.No. | Description of goods | Quantity |
| | l | | |

| 2 | **14************** |
|----|------------------------|
| | |
| 3. | |

- 9. Date of first purchase of raw material along with name
- 10. Compliance of Employment Criteria -
 - (A) New Industrial Unit

| Category of labour | Total No. of | No. of employment | Percentage of |
|------------------------------------|------------------------|--|--|
| | employment provided | provided to the domiciled residents of the state | employment provided to the domiciled residents of the state in total employment |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Unskilled Labour | | | |
| Skilled Labour | | | |
| Administrative/ Managerial Post | | | |

(B) Expansion/Diversification in the existing Industrial Unit

| Employment Employment | | Employment | Total | Increase in | Percentage of |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| in the | given till the | given after | employment | the | increasing |
| existing | date of | the | given after | employment | employment |
| Industrial | commencem | Expansion/ | the | | |
| Unit | ent of the | Diversificatio | Expansion/ | | |
| | commercial | n in the | Diversificatio | | |
| | production in | Existing | n in the | | |
| | the existing | Industry | existing | ·] | ' |
| | Industrial | | Industry | | |
| | Unit | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Unskilled | | | • | | I |
| Labour | | | | <u>.</u> . | |
| Skilled | | | | | |
| Labour | | | | • | |
| Administrati | | | | | |
| ve/ | | | | | |
| Managerial | | | | | |
| Post | | | | | |
| Total | | | | | |

11. Date opted for exemption of entry tax

(Date of commencement of Commercial production or date of taking exemption for the first time, whichever is earlier)

12. Bank Account number of the Unit -

13. PAN Number/TIN/CIN Number

| exemption from payment of entry | |
|---|---|
| Place | Signature |
| Date | Designation Seal |
| | |
| | DECLARATION |
| (Name and Address of the Industhis application is true to my kn | (Name and Post of the deponent)trial Unit) declare that all the information provided by me in owledge and I have the full knowledge of the content of the ed to make Declaration on behalf of |
| conditions given in the Column No Objection Certificate/s (No provided, are Valid/Updated. Or exemption is cancelled by the sa | eneral conditions specified in Annexure-II and the terms and 6 of Schedule of the said notification. I also declare that the DC/s) for the Establishment/Management of Industry, as a breach of any conditions by me if eligibility certificate for anctioning authority then I shall pay the entire amount of tax of which exemption has been availed of upto the date of rest within one month. |
| Place | Signature |
| Date | Name & Designation |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | Address |
| | FORM - B f Eligibility for Exemption of Entry Tax Department Notification No |

2. The dealer has established a new industrial unit/has undertaken expansion in his existing industrial unit/ has done Diversification in the Existing Industrial Unit and is eligible for availing of the aforesaid facility in respect of the following goods consumed or used in the

| process of manufacture of goods and the s certificate under the Chhattisgarh Value Added | |
|--|--|
| (1) | production on for new industrial |
| establishment/ expansion/diversification in exis 4. Product and the Annual Production capa Or | sting industrial establishment |
| production capacity (a) Production capacity prior to expan (b) Production capacity after to expan (c) In Diversification, name and capa | sion acity of product of existing Unit, the |
| Diversified product and productio 5. The dealer has opted for entry tax exemp | otion from |
| capacity of the existing industrial unit oCategory of Industry ((General Sector I | n in the new industrial unit/in the expanded on |
| 8. Area where the industry is situated (Ind | |
| (ii) Production capacity after to (c) Diversification in the existing indust (i) Diversified Product Name (ii) Production capacity prior to | it- rial unit unit- p expansion expansion |
| 10. This certificate is valid for the period inclusive). | from to (both days |
| Place Date | Signature |
| | By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, ——————————————————————————————————— |
| | Special Secretary |